खण्ड–5, अंक–1, वर्ष–2017, मु0पृ0 28–31, D.O.I. : 10.22445/avsp.v5i01.9843 शोध पत्र

बाल श्रम उन्मूलन कानून व परिपालन सम्बन्धित अध्ययन

अंशु केडिया
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
ए0 पी0 सेन मेमोरियल गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ–226001, उ0प्र0, भारत
akedia43@yahoo.in

प्राप्त तिथि–24.06.2017, स्वीकृत तिथि–14.08.2017

सार– बच्चे राष्ट्र व समाज की अमूल्य सम्पत्ति होते हैं किसी भी राष्ट्र का भविष्य इनके भरण–पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा अर्थात सर्वांगीण विकास पर निर्भर होता है। बाल श्रम इस तरह के विकास की राह में बड़ी रुकावट है। भारत ने बाल श्रम उन्मूलन के लिये समय–समय पर प्रयास किये, कानून बनाए, परन्तु असली जामा पहनने से पहले ही इन्होंने दम तोड़ दिया। हाल ही में बना "बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम 2016" दरअसल वर्ष 1986 में बनाये गए बाल श्रम अधिनियम का ही संशोधित रूप है। यह कानून पुनः एक आशा जगाता है। प्रस्तुत शोध आलेख में नए कानून की समीक्षा के साथ नए व पुराने कानून के बीच तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है।

बीज शब्द– बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं 2016, तुलना, क्रियान्वयन।

A study related to laws and implementation of abolition of child labour

Anshu Kedia
Associate Professor, Department of Sociology
A.P. Sen Memorial Girls P.G. College, Lucknow-226001, U.P., India
akedia43@yahoo.in

Abstract- Child labour deprives children of their childhood and is harmful for their physical and mental development. In order to identify, prosecute and stop child labour the government has made numerous efforts. In 1986, Child Labour (Prohibition and Regulation) Act was passed which prohibited the employment of children below the age of 14 years in 83 hazardous occupations. In July 2016 the parliament passed the Child Labour(Prohibition and Regulation) Amendment Act 2016. This act amends the Child Labour(Prohibition and Regulation) Act 1986 by widening its scope against child labour and provides for stricter punishment for violations. This act calls for a complete ban on child labour, so that children can obtain compulsory primary education under RTE. In this paper an attempt has been made to critically analyze the various aspects of Child Labour(Prohibition and Regulation) Act.

Key words- Child Labour Act 1986, 2016, comparison, implementation.

1. **प्रस्तावना–** किसी भी समाज व राष्ट्र के स्वस्थ विकास हेतु आवश्यक है कि आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक विकास पर भी ध्यान दिया जाए। भारत ने सदैव विभिन्न नीतियों व कानूनों के माध्यम से सामाजिक विकास पर ध्यान तो दिया परन्तु क्रियान्वयन के स्तर पर गैर जवाबदेही, व्याप्त भ्रष्टाचार, इच्छाशक्ति की कमी, नीतियों में लूप होल, कभी–कभी वैकल्पिक उपचार की अपर्याप्त दशा आदि ने इनको असल जाना पहनाने से पहले ही दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसा ही कुछ बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धित कानूनों व नीतियों का रहा जिसके परिणामस्वरूप बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धित कानूनों की एक श्रृंखला दिखायी देती है। हाल ही में बना "बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम 2016" दरअसल 1986 में बनाये गए बाल श्रम अधिनियम का ही संशोधित रूप है।[1] यह कानून पुनः एक आशा जगाता है। विश्व के विभिन्न देशों के समान भारत ने भी सदैव यह माना कि बच्चे राष्ट्र व समाज की अमूल्य सम्पत्ति होते हैं किसी भी राष्ट्र का भविष्य इनके भरण–पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा अर्थात सर्वांगीण विकास पर निर्भर होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवम्बर 1989 को बाल अधिकार विषय पर एक समझौता भी पारित किया गया,[2] जिस पर भारत ने भी 12 नवम्बर 1992 को अपनी सहमति दी। ये अधिकार उन सारे लोगों को दिए गए हैं जो चाहे किसी भी लिंग, भाषा, प्रांत, जाति या धर्म के हों परन्तु 18 वर्ष से कम आयु के हों। बच्चों के समस्याओं में विचार करने हेतु एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास उस समय हूआ जब अक्टूबर 1990 में न्यूयार्क में इस विषय पर एक विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 151 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा गरीबी, कुपोषण व भूखमरी के शिकार दुनिया भर के करोड़ों बच्चों की समस्याओं पर विचार–विमर्श किया गया।

2. **विधिक विश्लेषण–** भारत के संविधान की उद्देषिका में उल्लिखित सभी के लिये सामाजिक और आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिये समय–समय पर बाल श्रम उन्मूलन हेतु अनेकों नीतियां व कानून बने। वर्ष 1933 का बंधुआ श्रम अधिनियम, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने से सम्बन्धित था। वर्ष 1938 के बालरोजगार में कुछ खास उद्योगों व क्षेत्रों में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया।[3] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 व कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 67 में उल्लिखित है कि किसी भी फैक्ट्री, खदान अथवा किसी दुर्घटना जनित संस्थान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। खदान अधिनियम 1952 की धारा 40 तो 18 वर्ष से कम आयु व्यक्ति के नियोजन पर रोक लगाती है। अनुच्छेद 39 (ई) में प्रावधानित है कि राज्य ऐसी नीति बनाएगा जो बालक की उम्र के हितों के विपरीत न हो इसी के 39 (एफ) में भी बालकों को शोषण से बचाव हेतु व उनके विकास को ध्यान में रखकर नीति बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष की उम्र के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा हेतु राज्य नीति बनाएगा। कारखाना अधिनियम 1948 में प्राविधानित है कि बाल श्रमिक से साढ़े चार घण्टे ही कार्य कराया जाए। बाल श्रमिक (प्रोहिबिशन एवं रेग्यूलेशन) अधिनियम 1986 में भी निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित कार्यों व संस्थाओं में बाल श्रमिकों के नियोजन पर कारावास व अर्थदण्ड का प्रावधान है।[4] इस अनुसूची में 6 व्यवसाय हैं जिसमें बच्चों को रोजगार पर लगाना प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य है– जिन क्षेत्रों में बाल मजदूरों की संख्या अधिक है वहाँ उनके कल्याण की विभिन्न आवश्यकता के लिए परियोजनाएँ शुरू करना, जैसे व्यवसायिक प्रशिक्षण, गैर– औपचारिक शिक्षा, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल आदि। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।[5]

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत धारा–3 की अनुसूची के भाग–ए में संशोधन कर घरेलू नौकरों तथा ढाबों, रेस्ट्रा, होटल, चाय की दुकानों, रिसार्ट या मनोरंजन केन्द्रों में भी बाल श्रमिकों को **नियोजित** किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन इतने सरकारी व गैरसरकारी संगठनों आइ0एल0ओ0, यूनिसेफ जैसे दाता संस्थाओं के प्रयासों के बावजूद बाल श्रमिकों की संख्या कहीं से घटती नजर नहीं आ रही है। स्थिति यह है कि आज दुनिया भर के अमीर एवं गरीब देशों के करीब 25 करोड़ बच्चे कुछ न कुछ काम करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इनमें 96 प्रतिशत से अधिक बच्चे उन देशों में रहते हैं जो बाल अधिकार संरक्षण हेतु कानूनन बाध्य हैं।[6] भारत सरकार की सन् 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में 43.5 लाख बाल मजदूर हैं। जबकि गैरसरकारी आकड़ों के अनुसार भारत में करीब 5 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा बाल मजदूर रहते हैं। यूनीसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के बाल श्रमिकों का 12 प्रतिशत भारत में है। यह एक चिंताजनक आंकड़ा है।[7]

यदि बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा मिले तो बालश्रम पर चोट लगनी तय है इसको ध्यान में रखकर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आरटीई 2009 को लागू करके भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया है। है। इस अधिनियम के अर्न्तगत छः वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। हेलेन आर0 सेमर[8] के अनुसार बाल मजदूरी नीति के उददेश्य सफल रहे हैं। इसका पता न केवल स्कूलों में बच्चों के प्रवेश एवं उनकी उपस्थित से चलता है, बल्कि इस बात से भी चलता है कि वर्ष 2001 में जहाँ एक करोड़ 27 लाख बाल मजदूर थे, वहीं वर्ष 2011 में यह आंकड़ा घटकर एक करोड़ एक लाख रह गया है। एनएसएसओ की सर्वेक्षण रिपोर्ट से भी पता चलता है कि 2004–05 में जहाँ 90 लाख सात हजार कामगार बच्चे थे, वहीं 2009–10 में इसकी संख्या महज 49 लाख 80 हजार रह गयी थी। परन्तु इन आंकड़ों के विपरीत भारत में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद 6 से 14 साल तक के 4.27 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर है। जरूरी नही कि ये बच्चे मजदूरी ही करें परन्तु इससे बाल श्रमिक बनने की गुंजाइश बढ जाती है।

3. **नवीन बाल श्रम कानून–** नया बना "बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016" दरअसल 1986 में बनाये गए बाल श्रम अधिनियम का ही संशोधित रूप है। इस कानून में पुराने कानून से दण्ड, आयु वर्ष व कुछ परिभाषागत अन्तर किये गए हैं। वर्ष 2016 में किये गये संशोधन के बाद लागू बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) कानून के तहत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को किसी भी तरह की नौकरी में रखने से प्रतिबंधित किया गया है। यह एक अच्छा संकेत है। इस कानून के तहत 14 वर्ष के बाद और 18 वर्ष से पहले की उम्र को किशोरवय की संज्ञा दी गयी है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक किसी भी कार्य अथवा खानों, बारूदों से जुड़े कार्यों और 1948 के कारखाना अधिनियम के तहत आने वाले खतरनाक कार्यों में नियुक्त करने से पूरी तरह प्रतिंबधित किया गया है।
इस कानून में स्कूल का अर्थ मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून 2009 की अनुसूची धारा 19 एवं 25, मानकों और मानदंडों का पालन करने वाले स्कूल से है। स्कूल से लौटने या छुट्टियों के दौरान अपने परिवार अथवा खानदानी पेशों (फैमिली एटरप्राइजेज) में हाथ बटाने वाले बच्चों को प्रतिबंधों से छूट दी गयी है। परिवार का अर्थ केवल बच्चे की माँ, पिता, भाई–बहन और पिता के भाई–बहन और एवं माँ के भाई–बहन से है। विज्ञापन, फिल्म, टेलीविजन, धारावाहिक सहित मनोरंजन कार्यक्रमों में बतौर कलाकार या खेल गतिविधियों में शामिल बच्चों को प्रतिबंधों से छूट दी गयी है, बशर्ते उन क्षेत्रों

में भी बच्चों को उपयुक्त माहौल मिले और सुरक्षा के उपाय हों। बाल कलाकार का अर्थ उन बच्चों से है। जो अभिनय करते हों, गीत–संगीत से जुड़े हों या खिलाड़ी हो। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) कानून 1986 के तहत कठोर सजा के प्रावधान किये गये थे। नए कानून में भी कठोर सजा के प्रावधान हैं परन्तु पहली बार के अपराध के लिए सजा का प्रावधान नहीं है, पहली बार प्रकाश में आने वाले बाल श्रम को क्षमा योग्य अपराध की श्रेणी में भी ला दिया दिया गया है। इससे डीएम को यह अधिकार मिल गया है कि वह बाल श्रम कराने वाले को पहली बार पकड़े जाने पर महज जुर्माना लगा कर भी छोड़ सकता है। परन्तु दोबारा पकड़े जाने पर व्यक्ति पर जुर्माना के अलावा सजा भी बढ़ाई गयी है। किसी भी काम के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करने वाले व्यक्ति को छह महीने से दो साल की जेल की सजा या 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों लग सकेगा। पहले तीन महीने से एक साल तक की सजा और 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्राविधान था। संशोधित कानून सरकार को ऐसे स्थानों पर और जोखिम भरे कार्यों वाले स्थानों पर समय–समय पर निरीक्षण करने का अधिकार देता है जहाँ बच्चों के रोजगार पर पाबंदी है।

उक्त कानून में धारा 3 एवं 3(ए) के प्राविधानों के विपरीत बच्चों को व्यावसायिक कार्यों में लगाने वाले माता–पिता और अभिभावकों को सजा के प्राविधान किये गये हैं। पहली बार के अपराध के लिए तो सजा का प्राविधान नहीं है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति के लिए माता–पिता अथवा अभिभावक को अधिक से अधिक 10 हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकता है।[8] नए कानून में कार्यस्थलों से मुक्त कराये गये बच्चों एवं किशोरों को कानूनी प्राविधानों के अनुरूप पुर्नवासित किया जायेगा, क्योंकि बाल एवं किशोर श्रम(प्रतिषेध एवं नियमन) कानून यानि सीएएलपीआर कानून के तहत बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष बनाने के प्रावधान किये गये हैं। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को अधिकृत किया गया है कि वह जिला अधिकारी को इसके लिए अधिकृत करें तथा सावधिक जाँच निगरानी का जिम्मा सौंपे। यद्यपि एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में बाल मजदूरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी नए कानून में कई खामियां भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है–

नए कानून में 4 साल तक के बच्चे पढ़ाई के साथ–साथ फैमिली एंटरप्राइजेज में काम कर सकते हैं। इसके अनुसार बच्चे के माता–पिता के अलावा चाचा, ताउ, मामा, बुआ, मौसी आदि सभी परिवार का हिस्सा माने जायेंगे। यानी इनमें से कोई भी उससे मजदूरी कराये तो वह गैरकानूनी नहीं है। गड़बड़ी यहीं पर है। परिवार का दायरा माता–पिता तक ही सीमित रहना चाहिए। नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी[7] का मानना है कि ज्यादातर मामलों में रिश्तेदार ही बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून–1986 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर एक गैर सरकारी संगठन ने चिंता जताई है। संगठन "सेव द चिल्ड्रन" के पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम प्रबंधक चित्तप्रिय साधू ने कहा है कि बाल श्रम कानून में संशोधन का स्वागत है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि बाल अधिकारों के लिए कोई शर्त नहीं हो सकती।[9] एक अन्य कमी पहली बार पकड़ में आये बाल श्रम, अपराध को कंपाउडेबल ऑफिस की श्रेणी में रखा गया है। इससे डीएम को यह अधिकार मिल गया है कि वह बाल श्रम कराने वाले को पहली बार पकड़े जाने पर महज जुर्माना लगा कर भी छोड़ सकता है। इससे गुनहगार गुनाह करने से डरेगा ही नही अतः पहली बार भी गुनहगाार को छोड़ना उचित नहीं है। एक्ट प्रभावी तरीके से लागू हो इसके लिये जिला अधिकारियों को असीमित अधिकार प्राप्त हैं लेकिन जिला अधिकारियों के सहारे सारे काम छोड़ना गलत है। बाल मजदूरी एक्ट को प्रभावी बनाने के लिये एक अलग तंत्र बनाने की जरूरत है। इसमें निचले स्तर से लेकर नोडल अधिकारी तक एक सशक्त इच्छाशक्तिपूर्ण टीम होनी चाहिये है।[10]

4. **कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु सुझाव–** उक्त कानून को प्रभावी बनाने व बालश्रम को जड़ से समाप्त करने के लिये विशेषज्ञों द्वारा निम्न सुझाव दिये गए हैं–

संशोधित बाल श्रम कानून का उद्देश्य 14 वर्ष की आयु के नीचे के सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाकर एवं यह सुनिश्चित करके पूरा किया जा सकता है कि तदुपरांत कोई बच्चा स्कूल न छोड़े। बाल मजदूरों की पहचान करके, उनका शैक्षणिक पुनर्वास करके तथा उनके परिवारों के आर्थिक पुर्नवास के जरिये इस समस्या से मुक्ति पायी जा सकती है। ऐसे बच्चों के आर्थिक पुर्नवास के लिए रोजगारपरक हुनर का प्रशिक्षण दिया जा सकता है और आय के उपाय उपलब्ध कराये जा सकते हैं। जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण, सरकारी और गैर–सरकारी सभी संबंधित पक्षों को सामाजिक तौर पर लामबंद करके बाल श्रम निरोधक कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का रास्ता बनाया जा सकता है, तभी जाकर भारत से बाल मजदूरी खत्म हो पायेगी। सरकार ने किशोर वय न्याय (बच्चों की देख भाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 का निर्माण कर, बच्चों का बजट बढ़ाकर और मनरेगा जैसी योजनओं को विस्तार देकर बाल श्रम पर रोक लगाने और बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण की दिशा में सार्थक प्रयास किया है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बच्चों पर खर्च होने वाली कुल राशि में पिछले साल के मुकाबले इस बार 8 फीसद की बढ़ोत्तरी की गई है लेकिन देश में बच्चों की संख्या के अनुसार इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत की जनगणना, 2011 के मुताबिक देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या करीब 39 फीसद है। लेकिन केन्द्रीय बजट का महज 3.3 फीसद हिस्सा ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खर्च किया जाता है। हम सभी जानते है कि बाल मजदूरी और वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों का खरीदफरोख्त का सारा व्यापार काले धन में ही होता हैं

अतः कालेधन व अपराध के पूरे तंत्र पर चोट करनी बेहद जरुरी है। केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। वित्त मंत्री ने पाँच सालों में किसानों की आय में दोगुनी बढ़ोत्तरी का एलान किया है। यह एक अच्छा प्रयास है परन्तु आवश्यक है कि सरकार की तरफ से यह मात्र बयानबाजी ही न साबित हो क्योंकि अनुभव यह बताता है कि नीतियों के बनाने व उसके कार्यान्वयन में किसान हमेशा नजर अंदाज किया जाता है।

किसानों की आय बढ़ने से ये बाल मजदूरी कराने की बजाए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पायेंगे। कृषि में ही सबसे ज्यादा बाल मजदूरी है। ज्यादातर सीमांत किसान स्कूल भेजने के बजाए अपने बच्चों से खुद के खेतों में या फिर किसी और के खेत में बाल मजदूरी करवाते हैं। आय बढ़ने पर वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा पायेंगे। मनरेगा से भी देश में बाल मजदूरी कम होगी। केंद्र सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए मनरेगा बजट को 38,500 करोड़ से बड़ा कर 48,000 करोड़ रू0 कर दिया है। यह मनरेगा का अब तक का सबसे बड़ा बजट है परन्तु अभी भी यह अर्पयाप्त है जिसे और बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार के बजट बढ़ाने से कैलाश सत्यार्थी का मानना है कि इससे पैमाने पर रोजगार बढ़ेगा। ज्यादातर बेरोजगार लोग ही अपने बच्चों को बाल श्रमिक बनाते हैं। बेरोजगारी की स्थिति में वे अपने बच्चों को स्कूल के बजाए काम पर भेज देते हैं। सरकार के इस कदम से ड्राप आउट(स्कूल छोड़ने वाले) बच्चों की संख्या में कमी आ सकती है।[7] साथ ही यह भी जरुरी है कि प्राइमरी स्कूलों की दशा में उल्लेखनीय सुधार हो, ताकि अभिभावकों को बच्चों को पढ़ने भेजने के लिये प्रेरणा मिल सके। श्रम कानूनों की विफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इनका प्रभाव क्षेत्र केवल संगठित क्षेत्रों तक ही सीमित है जबकि अधिसंख्यक बालश्रमिक (70 फीसद) असंगठित क्षेत्रों से जुड़े हैं। प्रसिद्ध न्यायवेत्ता डॉ. एल. एम. सिंघवी का कहना है की बाल श्रमिक समस्या को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं प्रदान की गई है। उनकी स्थिति को सुधारने हेतु बनाई जाने वाली योजनाएँ राजनैतिक इच्छा **के अभाव** में कागज पर ही रह जाती हैं। इनका सुझाव था की इस कार्य के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया **जाना चा**हिए जिससे वह प्रभावी रूप से कार्य कर सके।

5. **निष्कर्ष–** राष्ट्र व समाज के स्वस्थ विकास हेतु आवश्यक है कि आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक विकास पर भी ध्यान दिया जाए। शिक्षा का प्रसार, उद्योगों के संगठित क्षेत्र को प्रोत्साहन, इच्छाशक्ति, सार्वजनिक दबाव पारदर्शिता तथा प्रभावकारी कानूनों को दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता है। तभी हम अधिसंख्यक बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

संदर्भ

1. दीपायतन, रंचना(1998) बाल अधिकार प्रवेशिका श्रुति, पटना, मु0पृ0 3–6।
2. कन्वेंशन ऑन दि राइट्स ऑफ चाइल्ड–विकीपीडिया, 1989।
   https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_the_Child
3. रामानाथन, ऊषा(2009) इवोल्यूशन ऑफ दि लॉ ऑन चाइल्ड लेबर इन इंडिया, पब्लिश्ड इन– ह्यूज डी0 हिन्डमैन(सं0) दि वर्ल्ड ऑफ चाइल्ड लेबर– एन हिस्टॉरिकल एण्ड रीजनल सर्वे(आर्मोन्क, न्यूयॉर्कः एम.ई. शार्प, 2009), पृ0 783।
4. शर्मा, सतीश कुमार(1999) बाल मजदूरी उन्मूलन भ्रम व सच्चाई, योजना, पृ0 43।
5. बाल श्रम–विकासपीडिया भारत में बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून और नीतियां
   hi-vikaspedia- in/education/child&rights/child&labour, स्रोत– समाज कल्याण/मई 1999।
6. शर्मा, सतीश कुमारः उपरोक्त।
7. सत्यार्थी, कैलाश(2017) सुरक्षित बचपन से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण, योजना, अप्रैल 2017।
8. हेलेन, आर0 सेमर(2017) बाल श्रम कानून में सुधार, योजना, अप्रैल 2017।
9. बाल श्रम कानून, 1986 में संशोधनों को लेकर चिंताए,
   www.prabhatkhabar.com/news/national/child.../455876.html
10. http://www-jagran-com/delhi/new&delhi&city&14719117-html#sthash-R001OtAL-dpuf